राज्य	पौध वितरण (लाखों में)	सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण (हैक्टयर में)
बिहार	750	50,000
उड़ीसा	550	83,000

कार्यान्वयन एजेंसियां वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों का स्थान और उस की स्थिति तय करती हैं जिसमें जलवायु और मृदा संबंधी स्थितियों और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) बिहार और उड़ीसा राज्यों में वर्ष 1993-94 के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित कुल धन राशि निम्न प्रकार है:—

(लाख रुपये में)

राज्य	आवंटन
1 बिहार	3381.46
2 उड़ीसा	4069.50

Comet collusion of Jupiter

1105. SHRI CHMANBHAI MEHTA: SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of ENVIRON MENT AND, FORESTS be pleased to state:

(a) whther any environment effects are perceived on our earth duo to comet collusion of jupiter;

(b) what is the contribution during current year in monetary terms by developed countries *to* keep earth eltao and gDMBf

(c) whether they have contributed 12 billion US dollars as per their commitment;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether it is feasible for the developing countries to contribute 500 biliion US dollars for the above purpose as per the decision of the world environment conference held under the auspices of UNO?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH); (a) No, Sir. According to information received from the Department of Space, the impact of the comet P/Shoemaker Levy-9 with Jupiter is not expected to produce any effect on the earth's environment.

(b) to (e) Agenda 21, which is the programme of action adopted at the UN Conference on Environmental Development (UNCED) in June, 1992 broadly estimated the average annual cost o£ implementing the activities of Agenda 21 in developing countries to be over dollar 600 billion over the period from the year 1993 to 2000, including about dollar 125 billion on grant on concessional terms from the international community. As part of ongoing bilateral and other programmes, assistance towards environmental protection is received by developing countries, though the actual sums received are considerably less than that estimated in Agenda 21. The capacity of developing countries to contribute large sums of money is also limited.

गंगा कार्य योजना

1106 श्री सोमपाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गंगा कार्य योजना के प्रदूषण रोकने में विफल रहने के संबंध में दिनांक 15 जून, 1994 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उक्त योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिये सरकार क्या-क्या ठोस कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत वाराणसी नगर में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिये 47.65 करोड़ रुपये की लागत पर 34 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। इन स्कीमों में, म्यूनिसिपल अपशेष जल के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन एवं उपचार, अल्प लागत स्वच्छता, नदी तटाग्र विकास तथा ठोस अपशेष प्रबंध के कार्य शामिल थे। 122 एम0एल0डी0 सीवेज, जो पहले गंगा में बहता था, के दिशा-परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले की स्थिति से नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

गंगा कार्य योजना के पहले चरण के प्रारंभ होने के बाद से इस नगर के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण विकासात्मक क्रियाकलाप हुये हैं जिससे इस नगर से उत्पन्न होने वाले अपशेष जल में वृद्धि हुई है। इसके अलावा वरुणा पार क्षेत्र सहित इस नगर के कुछ भागों से उत्पन्न होने वाले अपशेष जल के संबंध में पहले चरण में विचार नहीं किया गया था। इस नदी के किनारों पर कुछ अन्य रिसने वाले (लिकिंग) बिन्दुओं का पता चला है जिनके अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। इस समय गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण का प्रतिपादन हो रहा है जिसके अन्तर्गत इस अतिरिक्त अपशेष जल के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन एवं उपचार करने पर विचार किया जायेगा।

गैर सरकारी संगठन, नदी और इसके चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिये जन जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। कुछ संगठनों ने नगर में होर्डिंग्स लगाये हैं तथा दीवार पर पेंटिंग का काम किया है जिसमें लोगों को, घाटों पर शौच न करने, नदी में शव या अधजले शव न फेंकने, तथा कछुओं का संरक्षण करने के संदेश दिये गये हैं। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं जिसमें स्थानीय स्कूलों एवं कालेजों के छात्रों ने इस नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी में भाग लिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भी व्यापक रूप से बोर्ड लगाये हैं जिसमें लोगों को गंगा नदी को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है। नगर पालिका, वाराणसी से समय-समय पर, हरिश्चन्द्र घाट, पर विद्युत शवदाहगृह की मरम्मत करने तथा इसे हर समय कार्य करने की अवस्था में रखने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है। नदी को स्वच्छ रखने के लिये जन भागीदारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों को अत्यधिक जोश एवं उत्साह से आगे बढ़ाने का सरकार का इरादा है।

पर्यावरण संबंधी कानूनों में संशोधन

1107. **श्री सोमपाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण संबंधी कानूनों में इस आशय का संशोधन करने का विचार रखती है जिससे कि मंत्रालय को प्रदूषण उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध स्वयं दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार का संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है ?